न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी : पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

मुकदमा सं0: 21/2008 प्रार्थना पत्र 14(4)

मंदिर कुटी श्री गणेशदास जी महाराज ग्राम आलूदा जरिये भक्तगणः–

1. प्रभातीलाल पुत्र नारायण जाति मीना निवासी डागोलाई
2. रामावतार पुत्र बद्रीप्रसाद जाति मीना निवासी डागोलाई
3. रामजीलाल पुत्र घासीलाल जाति मीना निवासी इटारडा
4. रामेश्वर पुत्र रामजीलाल मीना निवासी इटारडा
5. जगन्नाथ पुत्र जयनारायण जाति मीना निवासी आलूदा
6. जयदेवा पुत्र भोंरीलाल जाति मीना निवासी आलूदा

समस्त हाल तहसील नांगल राजावतान

... प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दौसा(हाल तहसील नांगल राजावतान)
2. आवंटन सलाहकार समिति, दौसा जरिये उपखंड अधिकारी, दौसा
3. परभात्या उर्फ परताबा पुत्र चंदा जाति बैरवा निवासी अलूदा हाल तहसील नांगल राजावतान

... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन रूल्स विरूद्ध आवंटन आदेश आवंटन सलाहकार समिति दौसा कैम्प आलूदा दिनांक 18.9.1969 जिसके तहत अप्रार्थी नंबर 03 को वाके ग्राम आलूदा में स्थित भूमि खसरा नंबर 496 में से 02 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है।

उपस्थित : 1. श्री विनोद विजय, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
3. श्री एम0एल0 गुर्जर, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से

–:: निर्णय ::– दिनांकः 24.09.2021

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति दौसा कैम्प आलूदा ने दिनांक 18.9.1969 को अप्रार्थी नंबर 3 को वाके ग्राम आलूदा में स्थित भूमि खसरा नंबर 496 में से 02 बीघा भूमि का आवंटन कर दिया। उक्त आवंटन आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 03 को वाके ग्राम आलूदा स्थित भूमि खसरा नंबर 496 में से 02 बीघा भूमि का किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र आवंटन रूल्स 14(4) पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया। तहसीलदार नांगल राजावतान से तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आवंटन सलाहकार समिति कैंप आलूदा द्वारा अप्रार्थी संख्या 03 को दिनांक 18.9.1969 को वाके ग्राम आलूदा में स्थित भूमि साबिक खसरा नंबर 496 में से 02 बीघा भूमि जिसके वर्तमान खसरा नंबर 1754 रकबा 0.12है0 खसरा नंबर 1755 रकबा 0.05है0 खसरा नबर 1756 रकबा 0.12है0, खसरा नंबर 1757/5732 रकबा 0.22 है0 बने है, का आवंटन कर दिया। उक्त आवंटन विधि सम्मंत प्रकिया के विपरीत एवं आवंटन रूल्स के समस्त नियमों की अवहेलना करके किया गया है। उक्त भूमि आवंटन के समय आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। आवंटन के दिन कोरम पूरा नहीं होने के बावजूद आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी नंबर 3 को भूमि का आवंटन कर दिया। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा कभी भी उक्त भूमि पर काश्त नहीं की है। आंवटित भूमि पर मंदिर कुटी गणेशदास जी महाराज का कब्जा आंवटन के पूर्व से चला आ रहा है व आज भी कब्जा है। उक्त भूमि मे गणेशदास जी महाराज का मेला भरता है एवं पशुओं के इकट्ठा होने के काम आती है। प्रश्नगत भूमि काश्त योग्य नही है। अतः आवंटन सलाहकार समिति दौसा कैम्प आलूदा द्वारा दिनांक 18.9.1969 जिसके तहत अप्रार्थी नंबर 03 को वाके ग्राम आलूदा स्थित भूमि साबिक खसरा नंबर 496 वर्तमान खसरा नंबर 1754 रकबा 0.12है0 खसरा नंबर 1755 रकबा 0.05है0 खसरा नबर 1756 रकबा 0.12है0, खसरा नंबर 1757/5732 रकबा 0.22 है0 कुल 02 बीघा भूमि के किये गये आवंटन को निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता की बहस मे दलील है कि आवंटन सलाहकार समिति दौसा कैम्प आलूदा द्वारा दिनांक 18.9.1969 को अप्रार्थी संख्या 3 प्रभात्या पुत्र चंदर बैरवा को साबिक खसरा नं0 496 वर्तमान खसरा नंबर 1754 रकबा 0.12है0 खसरा नंबर 1755 रकबा 0. 05है0 खसरा नबर 1756 रकबा 0.12है0, खसरा नंबर 1757/5732 रकबा 0.22 है0 कुल 02 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। आवंटन के पश्चात आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना करने पर नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। आवंटन सलाहकार समिति दौसा कैंप आलूदा ने भूमि का आवंटन वर्ष 1969 में किया गया था। उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र लगभग 35 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया हैं। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा कोरम में आवंटन किया गया है, जो नियमानुसार सही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 03 ने बहस में दलील दी है कि अप्रार्थी संख्या 03 को आवंटन सलाहकार समिति कैंप आलूदा में साबिक खसरा नंबर 496 में से 02 बीघा भूमि आवंटित की गई थी। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की गई एवं उक्त भूमि पर निरंतर आवंटी का कब्जा है, जिसके समर्थन में खसरा गिरदावरी पेश की गई। आवंटी को आवंटन शर्तों की पालना करने पर नियमानुसार गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। आवंटी खातेदार के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा आवंटी को हैरान व परेशान करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अवगत कराया है कि ग्राम आलूदा के साबिक खसरा नंबर 496 हाल खसरा नंबर 1754 रकबा 0.12है0, खसरा नंबर 1755 रकबा 0.05है0 खसरा नंबर 1756 रकबा 0.12है0, 1757/5732 रकबा 0.22है0 कुल

किता 04 रकबा 0.51 है0 खातेदार ज्याना देवी पत्नि प्रभात्या, जगदीश प्रसाद, दुर्गालाल, भगवानसहाय, छोटूराम, हेमराज, धन्नालाल पि0 प्रभात्या जाति बलाई के नाम दर्ज है, जिसमें से खसरा नंबर 1757/5732 रकबा 0.22है0 में से 0.11है0 मंदिर परिसर चारदीवारी से बाहर है, शेष संपूर्ण भूमि अंदर है, जो मौके पर खाली है।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार नांगल राजावतान से प्राप्त टिप्पणी के अनुसार ग्राम आलूदा के साबिक खसरा नंबर 496 रकबा 02 बीघा जिसके वर्तमान खसरा नंबर 1754 रकबा 0.12है0, खसरा नंबर 1755 रकबा 0.05है0 खसरा नंबर 1756 रकबा 0.12है0, 1757/5732 रकबा 0.22है0 खातेदार ज्याना देवी पत्नि प्रभात्या, जगदीश प्रसाद, दुर्गालाल, भगवानसहाय, छोटूराम, हेमराज, धन्नालाल पि0 प्रभात्या जाति बलाई के नाम दर्ज है, जिसमें से खसरा नंबर 1757/5732 रकबा 0.22है0 में से 0.11है, मंदिर परिसर चारदीवारी से बाहर है शेष संपूर्ण भूमि अंदर है जो मौके पर खाली है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उक्त भूमि का आवंटन सलाहकार समिति की बैठक कैम्प आलूदा मे आवंटन किया गया है जिस पर तहसीलदार एंव सरपंच के हस्ताक्षर मौजूद है। अतः प्रार्थीगण का यह कथन उचित नही है कि कोरम की बैठक पूर्ण नही होने पर तहसीलदार द्वारा ही भूमि का आवंटन किया गया है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा कैम्प आलूदा मे किया गया भूमि का आवंटन सही है। इसलिए प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आंवटन सलाहकार समिति की मुकाम आलूदा मे बैठक में दिनांक 18.9.1969 के द्वारा अप्रार्थी नंबर 03 को वाके ग्राम आलूदा स्थित भूमि साबिक खसरा नंबर 496 में से 02 बीघा भूमि का किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आवंटी को किया गया भूमि का आवंटन यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 24.09.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा